महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987

(अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, **1992** (**1992** का अधिनियम संख्यांक **17**), महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, **2013** (**2013** का अधिनियम संख्यांक **07**), महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, **2017** (**2017** का अधिनियम संख्यांक **20**), विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, **2019** (**2019** का अधिनियम संख्यांक **17**) एवम राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, **2025** (**2025** का अधिनियम संख्यांक **10**) द्वारा संशोधित

अजमेर

(अद्यतन संशोधित-2026)

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University

{प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 7-11-87 में प्रकाशित हुआ।}

विधि एवं विधायी प्रारूपण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 7, 1987

संख्या प. 2(41) विधायी/87:- राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्या 38)

{ राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुई}

राजस्थान राज्य में अजमेर में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

---

*** महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 का संशोधन अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

अध्याय -1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इस अधिनियम का नाम महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के नाम से जाना जायेगा ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा और हुआ समझा जायेगा जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाऐं -** इस अधिनियम में ,जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "विद्या परिषद" से विश्वविद्यालय की धारा 12 के अधीन गठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकारों के लिए अंगीकृत कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(ग) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन नियत तारीख अभिप्रेत है;

(घ) "स्वायत्त महाविद्यालय" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस रूप में घोषित कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;

(ङ) "प्राधिकरण" से विश्वविद्यालय का, धारा 10 द्वारा विनिर्दिष्ट या उसके अधीन घोषित कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का, धारा 11 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

***अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा संशोधित एवं अवस्थापित**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University

(छ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक से भिन्न, विश्वविद्यालय में या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(झ) "संस्था" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त या अनुमोदित कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिकारी" से धारा 18 के द्वारा विनिर्दिष्ट या उसके अधीन घोषित, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) "अध्यादेश" या "विश्वविद्यालय का अध्यादेश" से धारा 22 के अधीन बनाया गया कोई अध्यादेश अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस रुप मे कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(ण) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(त) "परिनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत है;

(थ) "छात्र" से किसी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता हेतु कोई पाठ्यक्रम लेने के लिए विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(द) "अध्यापक" से कोई आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक या छात्रों को शिक्षा प्रदान करने या अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्य या प्रशिक्षण अथवा शिक्षा

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

प्रदान करने के लिए लगाया गया कोई भी अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित कोई व्यक्ति सम्मिलित है; और

*(ध) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

अध्याय 2
विश्वविद्यालय

3. **विश्वविद्यालय का निगमन** - (1) कुलाधिपति, पहला कुलगुरु और विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद के पहले सदस्य और वे समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारित करते रहें "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगें।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उसी से उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, कोई भी जंगम और स्थावर सम्पत्ति जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसमें निहित की जाये या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रित या अन्यथा अन्तरित या व्ययनित करने और कोई संविदा करने और ऐसी अन्य सभी बातें करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के अग्रसरण के लिए आवश्यक हों।

*** (अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा संशोधित एवं अवस्थापित ।**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(4) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय अजमेर में होगा जो कुलगुरु का मुख्यालय होगा और वह राजस्थान में ऐसे स्थानों पर क्षेत्रिय केन्द्र और विद्या शाखाऐं या अध्ययन विभाग स्थापित या संधारित कर सकेगा जिन्हे वह उचित समझे।

4. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य** - विश्वविद्यालय अपने कृत्यों का विस्तार और विनियमन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगा, अर्थात :-

(क) ज्ञान और पाठ्यक्रमों की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना;

(ख) ज्ञान का और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान कार्य का अभिवर्धन;

(ग) विस्तार शिक्षा कार्यक्रम हाथ में लेना;

(घ) महाविद्यालय अध्यापकों को उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण देना;

(ङ) शिक्षण-रीति विज्ञान और पैडागोगी में विशेषतः परिकल्पित अभिसंस्करण कार्यक्रम आयोजित करना;

(च) पाठ्यक्रम का आदिनांकन और आधुनिकीकरण तथा परीक्षा सुधार से संबंधित कार्य हाथ में लेना; और

(छ) ऐसा अन्य कार्य, क्रियाकलाप या परियोजना, जिसे विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हाथ में लेना उचित समझे।

5. **विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य**- (1) विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :-

(क) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में शिक्षा, विस्तार प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना जिन्हे वह उचित समझें;

(ख) अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसारण के लिए उपबन्ध करना;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(ग) ऐसा उपबन्ध करना जो संबद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों तथा मान्यता-प्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं को विशिष्ट अध्यापन हाथ में लेने के लिए समर्थ बना सके;

(घ) महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, विद्या शाखाऐं, अध्ययन केन्द्र और संस्थाएं, छात्र-निवास और विस्तार शिक्षा केन्द्र स्थापित, संधारित और प्रबंधित करना;

(ङ) अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्य प्रयोगशालाऐं, पुस्तकालय, संग्रहालय, श्रव्य दृश्य, कम्प्यूटर और अन्य शिक्षण सहाय्य आयोजित करना;

(च) विभिन्न परीक्षाओं और उनके मूल्यांकन के लिए शिक्षा और अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;

(छ) विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए स्तरमान और प्रवेश की रीति जिसमें परीक्षाऐं, मूल्यांकन और जांचो के अन्य ढंग सम्मिलित है, अवधारित करना;

(ज) डिग्री, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ संस्थित करना;

(झ) परीक्षाऐं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होने विश्वविद्यालय में या किसी संबद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया हो या परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित शर्तों के अध्यधीनां अनुसंधान किया हो, डिग्री, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदत्त करना;

(ञ) डिग्रीयों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों को अच्छे और पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(ट) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में विहित रीति से सम्मानिक उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदत्त करना;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं किये जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय-जन्य विशेषाधिकारों के लिए अंगीकृत करना और उन सभी या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेना;

(ड) किसी महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जो इस अधिनियम में अधिकथित की जायें, या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त करना और उक्त स्वायत्तता वापस लेना;

(ढ) विश्वविद्यालय, में शैक्षणिक, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ण) संबद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में अध्यापन, अन्य शैक्षणिक और अध्यापनेतर कर्मचारीवृन्द के सदस्यों की सेवा की अर्हताएं और निबन्धन तथा शर्तें विहित करना;

(त) घटक, संबद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों, और मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस और अन्य प्रभारों को विनियमित करना;

(थ) अध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द में अनुशासन को प्रवृत्त करना और बनाये रखना तथा उनके कल्याण के संवर्धन की और उनकी सेवा शर्तें सुधारने की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्थाऐं करना;

(द) अध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द के लिए भवनों, कार्यालयों, निवास स्थानों, छात्रावासों इत्यादि का निर्माण, संधारण और प्रबन्ध करना;

(ध) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं किए जा रहे छात्रावासों को मान्यता देना, ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण करना और उनकी मान्यता वापस लेना; और

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(न) ऐसे समस्त अन्य कार्य, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के अनुषांगिक हों या नही, करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो या जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों।

6. **क्षेत्रिय अधिकारिता** - राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम 1946, जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962, (1962 का राजस्थान अधिनियम 17), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (1962 का राजस्थान अधिनियम 18) और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अध्यधीन, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार और इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के राज्य-क्षेत्र पर होगा।

7. **विश्वविद्यालय सभी वर्गो के लिए खुला होगा** - विश्वविद्यालय इस अधिनियम और परिनियमों के अध्यधीन, सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे उनकी जाति, पंथ, मूलवंश, वर्ग या लिंग कोई भी क्यों न हो :

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा समाज के अन्य कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण के विशेष उपबन्ध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी।

8. **कुलाधिपति** - (1) राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगें।

(2) कुलाधिपति ऐसे कोई भी निर्देश दे सकेंगे, ऐसी कोई भी कार्यवाही और बात कर सकेंगें, जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन आवश्यक हो।

9. **निरीक्षण या जाँच आदिष्ट करने की शक्ति** - (1) कुलाधिपति की ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वे नियुक्त करें, विश्वविद्यालय और उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का और विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, नियंत्रित या अनुरक्षित किसी भी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास का भी

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

निरीक्षण किये जाने का आदेश देने की शक्ति होगी। कुलाधिपति के निदेशानुसार कोई निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके तत्वावधान में संचालित अध्यापन या अन्य कार्य के संबंध में या विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में भी की जा सकेगी।

(2) कुलाधिपति कोई निरीक्षण या जांच आदिष्ट करने के पूर्व इस संबंध में विश्वविद्यालय को नोटिस देंगें। विश्वविद्यालय निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जांच के परिणाम पर अपने विचार संसूचित कर सकेंगें और विश्वविद्यालय की टिप्पणीयाँ प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय को अपने द्वारा नियत कालावधि के भीतर-भीतर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में परामर्श दे सकेंगें।

(4) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत कालावधि के भीतर-भीतर कुलाधिपति को उप-धारा (3) के अधीन कुलाधिपति द्वारा दिये गये परामर्श के संबंध में की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में प्रतिवेदन भेजेगा।

(5) कुलाधिपति वहां जहां विश्वविद्यालय द्वारा उप-धारा (3) के अधीन स्वयं द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाये, ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगें जो वे ठीक समझें, और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(6) जहां कुलाधिपति की यह राय हो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप उसके उद्देश्यों के अग्रसरण में या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में संचालित नहीं किये जा रहे है कि जिससे अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान या विस्तार कार्यक्रम के स्तरमानों का अनुरक्षण होता हो वहाँ वे विश्वविद्यालय से इस निमित्त टिप्पणियाँ या स्पष्टीकरण भेजने की अपेक्षा कर सकेंगें। टिप्पणियाँ या स्पष्टीकरण भेजने में विश्वविद्यालय

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

के असफल रहने पर या उन्हे असंतोषजनक रूप में भेजने की दशा में कुलाधिपति ऐसे अनुदेश जारी कर सकेंगें जो आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।

(7) विश्वविद्यालय अपने प्रशासन के संबंध में ऐसी जानकारी देगा जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करें।

अध्याय -3
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

10. **प्राधिकरणः-** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगें, अर्थातः-

(क) प्रबन्ध बोर्ड;

(ख) विद्या परिषद;

(ग) अध्ययन बोर्ड; और

(घ) ऐसे अन्य निकाय जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

11. **प्रबन्ध बोर्ड** - (1) कुलगुरु नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध बोर्ड के गठन का आदेश देगा।

(2) बोर्ड में ऐसे सदस्य होंगें, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

12. **विद्या परिषद** - (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद होगी जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलाप की प्रभारी होगी और इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय में शिक्षा और परीक्षाओं के स्तरमानों तथा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों को पर्यवेक्षित, नियंत्रित और विनियमित करेगी।

(2) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद परिनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित की जायेगी।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(3) विद्या परिषद में ऐसे सदस्य होंगें, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगी जो विहित किये जायें।

13. **अध्ययन बोर्ड** - (1) अध्ययन बोर्ड में इतने सदस्य होंगें जो परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, उसमें ऐसे सदस्य होंगें, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

14. **अन्य प्राधिकरण** - परिनियमों द्वारा धारा 10 के खण्ड (घ) के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में घोषित कोई निकाय ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, उसमें ऐसे सदस्य होंगें, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

15. **सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित विवाद** - यदि ऐसा कोई विवाद उठे कि आया कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकरण के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्देशित, निर्वाचित या नियुक्त किया गया था तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा, जिनका उस पर किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. **प्राधिकरण में अस्थायी रिक्ति** - किसी भी प्राधिकरण में किसी पदेन सदस्य की रिक्ति से भिन्न कोई भी अस्थायी रिक्ति, यथाशक्य शीघ्र, उसी रीति से भरी जायेगी जो किसी स्थायी रिक्ति के मामले में नामनिर्देशन, निर्वाचन या नियुक्ति के लिए विहित की गयी है। अस्थायी रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस अवधि के शेष भाग के लिए ऐसे प्राधिकरण का सदस्य होगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य होता, जिसका कि स्थान उसने भरा है।

17. **रिक्ति से किसी कार्यवाही का अविधिमान्य न होना** - किसी भी प्राधिकरण के किसी भी कार्य या कार्यवाही को ऐसे प्राधिकरण में सदस्यता की कोई भी रिक्ति होने के कारण-मात्र से ही प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या अविधिमान्य नहीं ठहराया जायेगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

अध्याय - 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

18. **विश्वविद्यालय के अधिकारी** - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगें, अर्थात :-

(1) कुलगुरु ;

(2) सभी संकायाध्यक्ष;

(3) कुलसचिव;

(4) नियंत्रक;

(5) परीक्षा नियंत्रक;

(6) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(7) परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित कोई भी अन्य व्यक्ति।

19 **कुलगुरु .-**

*† **विलोपित**

** (1) कुलगुरु विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

*** (2) कोई भी व्यक्ति, कुलगुरु के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए

---

* **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 07) द्वारा संशोधित एवं प्रति स्थापित ।**

† **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 20) द्वारा विलोपित ।**

** **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 20) द्वारा संशोधित एवं प्रति स्थापित ।**

*** **विश्वविद्यालयों की विधियों (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा संशोधित एवं प्रति स्थापित ।**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।; और

(3) कुलगुरु , निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा ।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा ।

(5) खोजबीन समिति कुलगुरु के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी ।

(6) कुलगुरु के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलगुरु के रूप में नियुक्त

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षो को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी ।

(7) कुलगुरु की पदावधि उस तारीख से, जिसकों वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी ;

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(8) कुलगुरु , ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें । इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें ।

(9) जब कुलगुरु के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी ।

(10) जब कुलगुरु के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलगुरु के पद के कृत्यों के राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलगुरु द्वारा, निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा ।

(11) कुलगुरु किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा ।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलगुरु को दी जाये ।

(13) जहां, कुलगुरु के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा ।

(14) जहां कुलगुरु , उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा ।

(15) कुलगुरु , ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(16) कुलगुरु , निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगाः-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टीः

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा ।

(17) कुलगुरु विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा । उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों ।

(18) कुलगुरु को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जायेः

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करताः

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकारण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(19) कुलगुरु , इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकारण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं हैं या ऐसे प्राधिकारण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा । यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलगुरु ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें असफल रहता हैं तो वह विषय अंतिम विनिश्चिय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा ।

***19-क **कुलगुरु का हटाया जाना**.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलगुरु इस अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति

*****विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम**, 2019 (2019 **का अधिनियम संख्यांक** 17) **द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलगुरु का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ओदश द्वारा, कुलगुरु को हटा सकेगाः

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलगुरु को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और किस कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलगुरु को उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलगुरु , कुलगुरु के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलगुरु के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

20. **अन्य अधिकारी** - धारा 18 में निर्दिष्ट, विश्वविद्यालय के कुलगुरु से भिन्न अधिकारी ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर नियुक्त किये जायेंगें और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगें, जो विहित किये जायें।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

अध्याय - 5

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

21. **परिनियम** - (1) विश्वविद्यालय के परिनियमों में ऐसे अनुदेश, निदेश, प्रक्रियाऐं, ब्यौरे और निबन्धन तथा शर्ते होंगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अनुसार अधिकथित की जानी अपेक्षित हों।

(2) इस अधिनियम की अनुसूची में यथाअन्तर्विष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित परिनियम विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों, अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों तथा विश्वविद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित अन्य व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगें।

(3) बोर्ड को इस अधिनियम की अनुसूची में अन्तर्विष्ट किसी भी परिनियम को संशोधित करने, जोडने या हटाने की शक्ति होगी :

परन्तु बोर्ड किसी भी प्राधिकरण के गठन, प्रास्थिति या शक्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी परिनियम को, ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में अभ्यावेदन करने का कोई समुचित अवसर दिये बिना संशोधित नहीं करेगा, न उसे परिवर्तित करेगा, न हटायेगा।

(4) परिनियमों में का कोई भी संशोधन, चाहे वह परिनियमों में कुछ जोड़कर किया जाये या उनमें से कुछ हटाकर या किसी भी अन्य रीति से, तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उसे अनुमति न दे दें। कुलाधिपति उक्त परामर्श के पश्चात् और इस बात का समाधान हो जाने पर कि अनुमति नहीं दी जानी है अपनी अनुमति रोक सकेंगें या संशोधन के प्रस्ताव को स्वयं के द्वारा की गयी समुक्तियों, यदि कोई हो, के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार के लिए बोर्ड को लौटा सकेंगें।

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) में किसी बात के होने पर भी कुलाधिपति को राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, नियत दिन के एक वर्ष के भीतर अनुसूची

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

में अन्तर्विष्ट परिनियमों को, चाहे परिनियमों में कुछ जोडकर या उनमें से कुछ हटाकर या किसी भी अन्य रीति से, संशोधित करने की शक्ति होगी।

22. **विश्वविद्यालय के अध्यादेश** - (1) कुलगुरु को नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश बनाने की शक्ति होगी।

(2) अध्यादेशों में कोई भी संशोधन (जोड़कर, हटाकर या किसी भी अन्य रीति से) उप-धारा (1) के अधीन प्रथम अध्यादेशों के बनाये जाने के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, किये जा सकेंगें।

(3) इस अधिनियम और परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्ही भी मामलों के लिए बनाये जा सकेंगें, अर्थात :-

(क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या अभ्यावेशन, फीस, किसी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित अर्हता या शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबन्धन और शर्तें सम्मिलित हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे या विश्वविद्यालय-जन्य विशेषाधिकारों के लिए अंगीकृत महाविद्यालयों, संस्थाओं, केन्द्रों या अन्य ऐजेन्सियों या निकायों का प्रबन्ध;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये या संधारित किये जा रहे किसी भी छात्रावास में या निवास के अन्य स्थान में निवास करने और उसके लिए प्रभार उद्गृहित करने के लिए शर्ते और अन्य सम्बन्धित विषय;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा नही चलाये या संधारित किये जा रहे छात्रावासों की मान्यता और पर्यवेक्षण;

(च) अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की शर्तो, उनके सेवा अभिलेखों, अध्यापन संबंधी अनुदेशों, भत्तों से, जिनमें

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

अध्यापकों और कर्मचारियों को संदेय यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं, संबंधित विषय; और

(छ) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के द्वारा या अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु, परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य विषय।

23. **विनियम** - (1) किसी प्राधिकरण को अपने कार्यकलाप, और अपनी किसी भी समिति के कार्यकलाप के संचालन के लिए और अपनी बैठकों में अनुसरणीय प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, विनियम बनाने की शक्ति होगी।

(2) विनियम इस अधिनियम के, विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों के, उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं होंगें।

अध्याय - 6

संबद्धता, मान्यता और अनुमोदन

24. **महाविद्यालय की संबंद्धता** - (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर के किसी महाविद्यालय को इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्ते पूरी करने पर, विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय को संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय निम्नलिखित विषयों के संबंध में विश्वविद्यालय को समाधान कराने की दृष्टि से ऐसी समय-सीमाओं के भीतर-भीतर कुल-सचिव को आवेदन भेजेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें, अर्थात् :-

(क) कि वह महाविद्यालय द्वारा दी जाने के लिए आशयित शिक्षा की किस्म, आसपास मे अन्य महाविद्यालयों द्वारा उसी किस्म की शिक्षा के लिए किए गये विद्यमान उपबन्ध और उस परिक्षेत्र की, जहां महाविद्यालय स्थापित

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

किया जाना है, उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, परिक्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति करेगा;

(ख) कि वह किसी नियमित रूप से गठित शासकीय निकाय के प्रबंधाधीन होना है या राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाना है;

(ग) कि अध्यापकवृन्द की संख्या और अर्हताऐं तथा पदावधि को विनियमित करने वाली शर्ते ऐसी है जिनमें महाविद्यालय द्वारा हाथ में ली गयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों, अध्यापन या प्रशिक्षण के लिए सम्यक् उपबंध किया गया है;

(घ) कि जिन भवनों में महाविद्यालय स्थित किया जाना है वे उपयुक्त् है और यह कि महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित आवासों में ऐसे छात्रों के लिए जो कि अपने माता-पिता या संरक्षकों के साथ नहीं रह रहें है, निवास के लिए और छात्रों के पर्यवेक्षण तथा कल्याण के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुरूप उपबंध किया जायेगा;

(ङ) कि पुस्तकालय के लिए सम्यक् उपबंध किया गया है;

(च) कि जहां प्रायोगिक विज्ञान की किसी भी शाखा में सम्बद्धता चाही गयी है वहां सम्यक् रूप से सज्जित प्रयोगशाला या संग्रहालय में विज्ञान की उस शाखा में शिक्षा देने के लिए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुरूप व्यवस्थाऐं की गयी है;

(छ) कि जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञा देंगी, प्राचार्य और अध्यापकवृन्द के सदस्यों के निवास के लिए महाविद्यालय में या उसके पास अथवा छात्रों के निवास के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान में सम्यक् उपबंध किया जायेगा;

(ज) कि महाविद्यालय के वित्तीय साधन ऐसे है कि उनसे उसके निरंतर संधारण और कुशल कार्यकरण के लिए सम्यक् उपबंध हो जाता है; और

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(झ) कि छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस को नियत करने वाले नियम ऐसे होंगें जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विहित किये जाये।

(3) सम्बद्धता के आवेदन में इस बात का आश्वासन होगा कि महाविद्यालय के सम्बद्ध हो जाने के पश्चात् प्रबंध में या अध्यापकवृन्द में होने वाले किसी भी परिवर्तन की और किसी भी ऐसे अन्य परिवर्तन की जिसके परिणामस्वरूप उप-धारा (2) में उल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती हो, रिपोर्ट विश्वविद्यालय को तुरंत की जायेगी।

(4) उप-धारा(2) के अधीन सम्बद्धता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उस आवेदन को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकरण के समक्ष रखा जायेगा।

(5) बोर्ड, प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त करेगा और अंतिम विनिश्चय करेगा।

(6) जहां कोई महाविद्यालय शिक्षा के किसी ऐसे पाठ्यक्रम में परिवर्धन करना चाहे जिसकें संबंध में वह संबद्ध नहीं है वहां उपधारा (2) से (5) द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

(7) उप-धारा (2) के अधीन कोई आवेदन उप-धारा (5) के अधीन किसी आदेश के अंतिम रूप से किये जाने के पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

25. **सम्बद्धता का वापस लिया जाना.** - (1) यदि महाविद्यालय धारा 24 की उप-धारा (2) के किन्ही भी उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहे या अपनी सम्बद्धता की किन्ही भी शर्तो का पालन करने में असफल रहे अथवा ऐसी रीति से संचालित किया जाये जो शिक्षा के हित के प्रतिकूल हो तो उसे मंजूर की गयी सम्बद्धता वापस ली जा सकेगी या उपान्तरित की जा सकेगी।

(2) ऐसी सम्बद्धता के वापस लिये जाने या उपान्तरण के लिए प्रस्ताव बोर्ड में रखा जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर विचार किये जाने के पूर्व बोर्ड महाविद्यालय के प्राचार्य को

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

ऐसे प्रस्ताव के आधार उल्लिखित करते हुए एक नोटिस, उस नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर विचार करने के लिए लिखित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, देने के लिए भेजेगा।

(3) अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्राप्त हो जाने पर बोर्ड नोटिस और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, और किसी भी सक्षम व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के पश्चात्, जो उचित समझा जाये, और उस पर विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के भी पश्चात् आदेश मे विनिर्दिष्ट तारीख से सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापिस ले सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा।

26. **कतिपय संस्थाओं की मान्यता** - अनुसंधान या विशिष्ट अध्ययन का संचालन कर रही, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जो विहित की जायें, मान्यता दी जा सकेगी।

27. **मान्यता का वापस लिया जाना.** - किसी संस्था को मान्यता द्वारा प्रदत्त अधिकार, यदि वह संस्था अपनी मान्यता की किसी शर्त का पालन करने में असफल रही हो तो, किसी भी कालावधि के लिए, ऐसी रीति और ऐसे कारणों से, जो विहित किये जायें, वापस लिये या निलंबित किये जा सकेंगे।

28. **संस्थाओं का अनुमोदन.** - (1) बोर्ड को विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् किसी संस्था को ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जो कि विहित की जाये, किसी अर्हित अध्यापक के मार्गदर्शन में विशिष्ट अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप अनुसंधान या अन्य शैक्षणिक कार्य के लिए एक अनुमोदित संस्था के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और सावधिक विवरणियां मांगने की सामान्य शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए,

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

अनुमोदित संस्थाऐं अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्याएं विहित करने और अपने कार्य को संगठित करने के विषय में और समस्त अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक विषयों में पूर्ण स्वायत्तता रखेगी।

(3) मान्यता देते समय, बोर्ड किसी अनुमोदित संस्था की स्नातकोत्तर या यथास्थिति, स्नातक महाविद्यालय के रूप में प्रास्थिति विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी संस्था के कर्मचारीवृन्द के सदस्य वे ही अधिकार और विशेषाधिकार रखेंगें जो इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और उनके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन, विश्वविद्यालय के समान प्रास्थिति वाले किसी महाविद्यालय के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता के सम्बन्ध में या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुज्ञात होते हैं।

(4) बोर्ड को, किसी अनुमोदित संस्था द्वारा दी गयी किसी भी उपाधि, डिप्लोमें या प्रमाण-पत्र को विश्वविद्यालय की किसी समरूपी उपाधि, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्र के समकक्ष मान्यता देने की शक्ति होगी। विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा वे शर्त और रीति विहित करेगा जिनके अनुसार कोई अनुमोदित संस्था अपनी परीक्षाएं आयोजित करेगी।

29. **अनुमोदन का वापस लिया जाना** - (1) अनुमोदन द्वारा किसी संस्था को प्रदत्त अधिकार बोर्ड द्वारा किसी भी कालावधि के लिए तब वापस लिए या निलंबित किये जा सकेगें यदि वह संस्था अपने अनुमोदन की किन्ही भी शर्तो का पालन करने में असफल रहे या उसे समनुदेशित कार्य ऐसी रीति से संचालित किया जाये जो शिक्षा के हित के प्रतिकूल हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अध्यापक संस्था को छोड़ दें।

(2) किसी भी अनुमोदित संस्था के सम्बन्ध में उप-धारा(1) के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व बोर्ड उस संस्था से लिखित नोटिस द्वारा उस नोटिस की प्राप्ति की

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

तारीख से एक मास के भीतर-भीतर इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा कोई आदेश क्यों नहीं कर दिया जाये। यदि आवश्यक हो तो हेतुक दर्शित करने के लिए इस प्रकार दी गई कालावधि बोर्ड द्वारा बढाई जा सकेगी।

(3) नोटिस के उत्तर में संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के प्राप्त होने पर और जहां ऐसा कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो वहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर बोर्ड विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् यह विनिश्चित करेगा कि अनुमोदन वापस लिया जाये या, यथास्थिति, निलंबित कर दिया जाये और तदनुसार ही कोई आदेश करेगा।

30. **महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट** - (1) प्रत्येक संबद्ध, मान्यता प्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित महाविद्यालय या संस्था विश्वविद्यालय को ऐसे महाविद्यालय या संस्था की कुशलता निर्णयन कर पाने के लिए ऐसी रिपोर्टें विवरणियाँ और अन्य सूचना देगी जो अपेक्षित की जाये।

(2) बोर्ड ऐसे महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर करा सकेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट बोर्ड को की जायेगी।

(3) बोर्ड इस प्रकार निरीक्षित ऐसे किसी भी महाविद्यालय या संस्था से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

अध्याय - 7

स्वायत्त महाविद्यालय, संस्थाऐं और विश्वविद्यालय विभाग

31. **स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदत्त किया जाना** - (1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा, छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम विहित करने, शिक्षा और प्रशिक्षण देने, परीक्षाएं आयोजित

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

करने और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियों के विषय में स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त की जा सकेगी।

(2) बोर्ड ऐसे किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में शिक्षा के स्तरमानों के विषय में स्वयं के समाधान के प्रयोजनार्थ किसी स्थाई समिति द्वारा ऐसी रीति से कोई जांच करने का निदेश दे सकेगा जो विहित की जाये।

(3) उक्त समिति की रिपोर्ट और उस पर विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त होने पर बोर्ड अपना समाधान होने पर वह विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार को उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए निर्देशित करेगा।

(4) ऐसी सहमति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय, उस महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त करेगा।

(5) स्वायत्तता की प्रास्थिति; इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के अध्यधीन रहते हुए प्रारम्भ में पाँच वर्ष की कालावधि के लिए मंजूर की जा सकेगी। समिति में निम्नलिखित होंगें, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय का एक नाम निर्देशिती;

(ख) राज्य सरकार का एक नाम निर्देशिती;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नाम निर्देशिती;

(घ) कुलगुरु द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला किसी स्वायत्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य; और

(ङ) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी।

(6) समिति अपनी रिपोर्ट आगे की कार्यवाही के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(7) विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग का सामान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा और ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग के छात्रों को उपाधियां प्रदत्त करता रहेगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(8) स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी समितियां नियुक्त करेगा जो शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यकलाप से सम्बन्धित समुचित प्रबन्ध के लिए विहित की जाये।

(9) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी रिपोर्टे, विवरणियां और अन्य सूचनाऐं देगा जिनकी अपेक्षा बोर्ड कुशलता के निर्णयन के लिए समय-समय पर करे।

(10) बोर्ड प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग का समय-समय पर निरीक्षण करायेगा।

32. **स्वायत्त प्रास्थिति का वापस लिया जाना** - (1) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान विश्वविद्यालय द्वारा तब वापस लिया जा सकेगा यदि महाविद्यालय, संस्था या विभाग उसके प्रदान की किसी भी शर्त का पालन करने मे असफल रहे या उसकी कुशलता का इतना क्षय हो गया हो कि शिक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक हो जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व बोर्ड एक मास के लिखित नोटिस द्वारा महाविद्यालय, संस्था या विभाग से इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा कोई आदेश क्यों नहीं कर दिया जाये।

(3) नोटिस के उत्तर में महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर बोर्ड विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करने के पश्चात् वह विषय राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(4) राज्य सरकार ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो ठीक समझी जाये, करने के पश्चात् उक्त विषय में अपनी राय अभिलिखित करेगी और अपना विनिश्चय विश्वविद्यालय को सूचित करेगी और तब विश्वविद्यालय ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे।

(5) जहां किसी स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग के मामले में, धारा 31 के अधीन प्रदत्त स्वायत्त प्रास्थिति उप-धारा(4) के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

वापस ले ली जाये, वहां ऐसा महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से कोई स्वायत्त प्रास्थिति नहीं रखेगा।

अध्याय - 8
नियुक्तियां, निधियां और लेखे

33. नियुक्तियां.- (1) किसी व्यक्ति को किसी लिखित संविदा द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, जिसमें इस अधिनियम या परिनियमों के किसी भी उपबन्ध के प्रतिकूल कोई भी शर्त नहीं होगी।

(2) सभी नियुक्तियां सामान्यतः परिनियमों से शासित होंगी और ऐसे अधिकारी के द्वारा तथा ऐसी रीति से की जायेंगी, जो विहित की जाये।

(3) मूल संविदा विश्वविद्यालय के अभिलेख में रखी जायेगी और उसकी प्रति नियोजित व्यक्ति को दी जायेगी।

34. **भविष्य निधि और पेंशन निधि.**- (1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि या पेंशन निधि सृजित करेगा या ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्यधीन एक बीमा स्कीम बनायेगा, जो विहित की जायें।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रिय अधिनियम 19) के उपबन्ध किसी निधि या किसी बीमा स्कीम पर ऐसे लागू होंगें मानो वह कोई सरकारी निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अभिदाय या विनिधान करेगा।

(3) जहां सरकारी नियोजन में का कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा स्थानान्तरित किया जाये वहा उप-धारा (1) मे निर्दिष्ट निधि और स्कीम से

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

संबंधित निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी, जिन पर सरकार और और विश्वविद्यालय के बीच सहमति हो।

35. **विश्वविद्यालय निधियां.** - (1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिनमें ऐसी समस्त आयें, फीसें और अन्य प्राप्तियां समुचित शीर्षो के अधीन जमा की जायेंगी, जो विहित की जायें।

(2) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अभिदाय, सहायता या अनुदान के रूप में प्राप्त धन या किसी भी अन्य से प्राप्त कोई भी ऐसा अन्य धन, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट हो विश्वविद्यालय की आधार निधि में जमा कराया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय की आधार निधि में जमा कराया गया संपूर्ण धन या उसका भाग ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो कि विहित किये जायें, खर्च किया जायेगा, या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रिय अधिनियम 2) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट है।

(4) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिये या किये गये किसी भी अनुदान, सहायता या अभिदाय के उपयोग से संबंधित ऐसे विवरण, लेखे, प्रतिवेदन या अन्य विशिष्टियां उक्त सरकार को दी जायेंगी, जो समय-समय पर अपेक्षित हों।

(5) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, आधार निधि और अन्य निधियां परिनियमों के ऐसे उपबन्धों के अनुसार रखी, प्रबंधित की और व्यवहृत की जायेंगी, जो समय-समय पर बनाये जाये।

***36. **लेखे और संपरीक्षा** - (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलगुरु के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से

*****महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 07) द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित ।**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

विश्वविद्यालय को प्रोद्यत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रक़मों की प्रविष्ठि लेखाओं में की जायेगी ।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा ।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और बजट प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तद्नुसार कार्रवाई करेगा ।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा ।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलगुरु द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशो को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाये ।

***36-क राज्य सरकार का नियंत्रण** - जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित है, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तो का पालन

***महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 07) द्वारा संशोधित एवं नयी धारा अन्तर्निविष्ट ।**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थातः-

(क) अध्यापको, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन,

(ख) अपने अध्यापको, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तो, सेवानिवृति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदो का पुनरीक्षण;

(ग) अपने अध्यापको, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ड) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनो, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी है, से भिन्न किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये ।

स्पष्टीकरण - पूर्वोक्त शर्ते किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना हैं ।

36-ख **आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा - (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में,

---

****महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 07) द्वारा संशोधित एवं नयी धारा अन्तर्निविष्ट ।**

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा ।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे ।

37. **वित्त समिति** - (1) एक वित्त समिति होगी, जो कुलगुरु के द्वारा गठित की जायेगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में कुलगुरु होगा, राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती, नियंत्रक और बोर्ड का एक नामनिर्देशिती होगा। नियंत्रक उक्त समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(2) वित्त समिति -

(क) वार्षिक लेखों और बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करेगी और उनके संबंध में बोर्ड को परामर्श देगी;

(ख) समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी और बोर्ड को परामर्श देगी; और

(ग) वित्त के किसी भी विषय या आधिक्यगत व्यय अन्तर्वलित करने वाले किसी भी प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करेंगी।

अध्याय - 9
प्रकीर्ण

38. **वार्षिक प्रतिवेदन**.- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कुलसचिव द्वारा कुलगुरु के निदेशाधीन तैयार किया जायेगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(2) वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी कार्यवाईयां उपवर्णित की जायेंगी।

(3) वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड के सदस्यों के बीच उसकी उस वार्षिक बैठक के एक मास पूर्व परिचालित किया जायेगा जिसमें उस पर विचार किया जाना है।

(4) बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसे ऐसी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेजेगा जो आवश्यक समझी जायें। उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखी जायेगी।

39. **अस्थायी व्यवस्थाऐं.** - (1) नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय और उस समय तक जब तक कोई प्राधिकरण सम्यक् रूप से गठित न हो जाये, कुलगुरु , कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) कुलगुरु , बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन, किसी भी अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी की रिक्ति पर उस समय तक के लिए कोई अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा, जब तक इस अधिनियम और परिनिमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती।

(3) इस अधिनियम और परिनियमों के किसी भी उपबन्ध में किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी की, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के किसी भी पद पर ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो वह अवधारित करे, प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा, नियुक्ति के लिए आदेश कर सकेगी।

40. अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पत्तियों के अन्तरण. - कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी भी समय-

(क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के, या

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(ख) किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति या उसमें के किन्ही भी अधिकारों या हितों के,

(ग) प्राप्त, प्रोदभूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अभिदाय, दान, सहायता या उपकृति के,

(घ) विश्वविद्यालय के पक्ष में या विरूद्ध उपगत अथवा विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किन्ही भी देयों, दायित्वों या बाध्यताओं के,

(ङ) कोई भी वसीयत, दान या न्यास अन्तर्विष्ट करने वाले किसी भी वसीयतनामें विलेख या अन्य दस्तावेज के,

ऐसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसके कि वे कुलाधिपति हैं, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय मे अन्तरण के लिए ऐसे आदेश, जो आवश्यक समझे जायें, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जो उस आदेश में अवधारित की जायें, कर सकेंगें।

41. **महाविद्यालयों और संस्थाओं का अन्तरण.** - (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होने पर भी, ऐसे महाविद्यालय, संस्थाएं, छात्रावास, कार्यालय और कोई भी ऐसा अन्य निकाय या एजेन्सी, जो राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी भी समय सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर, जो कि सरकार द्वारा अवधारित की जायें, राज्य के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से विसंबद्ध या, यथास्थिति, अन्तरित की जा सकेगी और इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय से संबद्ध की जा सकेगी या उसे अन्तरित अथवा उसमें निहित की जा सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संबद्ध या अन्तरित किसी भी महाविद्यालय, संस्था, केन्द्र, या किसी भी अन्य निकाय अथवा ऐजेन्सी का नियंत्रण या प्रबन्ध उप-धारा(1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(3) विश्वविद्यालय से इस प्रकार संबद्ध या उसे अन्तरित महाविद्यालय या संस्था के छात्रों या किसी भी अन्य निकाय में लगे हुए व्यक्तियों को अपना पाठ्यक्रम, अनुसंधान या कार्यक्रम पूरा करने दिया जायेगा और विश्वविद्यालय उसके लिए व्यवस्थाऐं करेगा।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी महाविद्यालय, संस्था, या किसी भी अन्य निकाय अथवा एजेन्सी में अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति उक्त उप-धारा के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से उन्ही निबन्धनों और शर्तो पर विश्वविद्यालय का अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी हो गया समझा जायेगा।

42. **बोर्ड की अवशिष्टीय शक्ति.** - बोर्ड को, विश्वविद्यालय से संबंधित और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को विनिर्दिष्टतः समनुदेशित नहीं किये गये किसी भी विषय के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति होगी।

43. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति** - जहां इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उद्‌भूत हो वहां राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के प्रतिकूल न हो :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश नियत दिन से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

44. **निरसन और व्यावृत्तियां.**- (1) अजमेर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश सं. 14) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी सभी बातें, कार्यवाहियां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगें।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

अनुसूची

{ धारा 21 देखिये }

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. **कुलगुरु** .- (1) कुलगुरु विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित तीन सदस्यों की एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा :-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके किसी भी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद्; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति।

(2) खण्ड़ (1) के अधीन नामनिर्देशित व्यक्तियों में से एक को कुलाधिपति द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुलगुरु की पदावधि उस तारीख से तीन वर्ष की होगी जिसको वह अपना पद ग्रहण करता हैं या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, जो भी पहले हो जाये :

परन्तु कुलाधिपति, कुलगुरु से जिसकी कि अवधि समाप्त हो रही है, एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगें जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए कुलगुरु के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) जहां कुलगुरु का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने या अवधि की समाप्ति के कारण अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्थायी रूप से रिक्त हो जाये वहां वह

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

कुलाधिपति द्वारा खण्ड़ (1) में विनिर्दिष्ट रीति से भरा जायेगा और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरा जाता तब तक के लिए कुलाधिपति द्वारा खण्ड़ (5) के अधीन और अनुसार अस्थाई व्यवस्था की जा सकेगी।

(5) छुट्टी या निलम्बन के कारण या अन्यथा कुलगुरु के पद की कोई अस्थायी रिक्ति होने की दशा में या तब जब कोई अस्थायी व्यवस्था करना खण्ड (4) के अधीन आवश्यक हो जाये, कुलाधिपति कुलगुरु के कृत्यों का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार के परामर्श से ऐसा प्रबन्ध कर सकेंगें जो वे ठीक समझें।

(6) कुलगुरु उस तारीख से, जिसको कि वह कार्यमुक्त होने का आशय रखता हो, साठ से अन्यून दिन पहले कुलाधिपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(7) कुलगुरु का वेतन तथा अन्य सेवा शर्ते निम्नवत् होंगे-

(अ) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला में मूल वेतन

(ब) निशुल्क सुसज्जित सरकारी आवास

(स) मूल वेतन पर लागू सभी भत्ते जो कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त स्वीकृत है, तथा

(द) अन्य अतिरिक्त लाभ एवं भत्ते जो कि कुलाधिपति की स्वीकृति से प्रबन्ध मण्डल द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सेज के अन्तर्गत समय-समय पर स्वीकृत हों ।

(8) कुलगुरु के शासकीय निवास का संधारण विश्वविद्यालय की निधियों में से किया जायेगा।

(9) जहां कुलगुरु के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था वहां वह उस भविष्य निधि में,

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

जिसका कि वह ऐसे नियोजन में सदस्य था, अभिदाय करना जारी रख सकेगा और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के उस भविष्य निधि खाते में अभिदाय करेगा।

(10) जहां कुलगुरु अपने पूर्व नियोजन में किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा।

(11) कुलगुरु ऐसी दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा नियत की जाये।

(12) कुलगुरु को छुट्टी का हक निम्नलिखित रूप से प्रोदभूत होगा :-

(क) सक्रिय सेवा के प्रत्येक ग्यारह दिन के लिए एक दिन की दर से पूर्ण-वेतन छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी।

परन्तु अर्ध-वेतन छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेश कर दिये जाने पर पूर्ण-वेतन छुट्टी के रूप में परिवर्तित की जा सकेगी।

(13) कुलगुरु को, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों और उसे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां भी प्राप्त होगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा :-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण के द्वारा किए गए विनिश्चयों को प्रभावी करना;

(ग) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए समस्त शक्तियों का प्रयोग करना;

(घ) बोर्ड और विद्या-परिषद की बैठकें बुलाना और विचार-विमर्श तथा विचार के लिए कोई भी विषय प्रस्तुत करना;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(ङ) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियों का प्रयोग करना;

(च) किसी आपात-स्थिति में जब तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो तब कोई कार्यवाही करना और इस प्रकार की गयी कार्यवाही के बारे में ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को रिर्पोट करना जिसने सामान्य अनुक्रम में उस विषय में कार्यवाही की होती;

(छ) विभिन्न शाखाओं जैसे अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार के बीच निकट का समन्वय और एकीकरण बनाये रखना;

(ज) अध्यापकों और कर्मचारियों को नियुक्त करना या किसी भी पद अथवा पदों के प्रवर्ग के लिए नियुक्ति करने हेतु किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत करना; और

(झ) किसी भी अध्यापक या कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या ऐसी कार्यवाही करने के लिए किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत करना।

2. **महाविद्यालयों, संकायों और स्नातकोत्तर अध्ययन के संकायाध्यक्ष** - (1) एक संकायाध्यक्ष महाविद्यालयों के लिये, एक स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए और एक-एक प्रत्येक संकाय के लिए होगा।

(2) संकायाध्यक्ष कुलगुरु द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए विद्या-परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और उसकी सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों मे विनिर्दिष्ट की जायें।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(4) संकाय का अध्यक्ष अपने संकाय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और संकाय से संबंधित परिनियमों और विनियमों का पालन और अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि के संचालन और आयोजन के लिए कुलगुरु के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष, महाविद्यालयों से संबंधित परिनियमों और विनियमों के पालन के लिए और प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि के संचालन और आयोजन के लिए विभिन्न महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुलगुरु के प्रति उत्तरदायी होगा।

(6) महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष विभिन्न महाविद्यालयों में क्रियाकलाप का समन्वय करेगा और इसी तरह संकाय का अध्यक्ष अपने संकाय के विभिन्न विभागों और अनुभागों में क्रियाकलाप का समन्वय करेगा।

(7) स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों, विभागों और अनुभागों में स्नातकोत्तर अध्ययन का समन्वय करेगा और स्नातकोत्तर थीसिस और अनुसंधान कार्यक्रमों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगा।

(8) संकायाध्यक्ष समस्त ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो महाविद्यालय या संकाय के यथोचित रूप से काम करने के लिए आवश्यक हों या जो कुलगुरु द्वारा उसे समनुदेशित किये जाये।

3. **कुल-सचिव.** - (1) विश्वविद्यालय के कुल-सचिव की नियुक्ति बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर, बोर्ड द्वारा की जायेगी :

परन्तु प्रथम कुल-सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा सरकार से परामर्श के पश्चात् तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायेगी जो कुलाधिपति अवधारित करे।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(2) कुल-सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड और विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा और बैठकों के कार्यवृत्तों का संधारण करेगा।

(3) कुल-सचिव बोर्ड और विद्या परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखेगा जो बैठकों के कारबार को चलाने के लिए अपेक्षित हों।

(4) कुल-सचिव, खण्ड् (2) और (3) में यथाविनिर्दिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों को प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :-

(क) परीक्षा, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार या विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन के लिए समस्त आवश्यक प्रबन्ध करना;

(ख) समस्त ऐसे कृत्यों का पालन करना जो उसे कुलगुरु , बोर्ड या विद्या परिषद् द्वारा समनुदेशित किये गये हो;

(ग) बोर्ड, विद्या परिषद् और उसकी किसी समिति की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त की प्रतियां कुलाधिपति को प्रस्तुत करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध फाइल किये गये किसी वाद में या अन्य कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय के लिए या उसकी ओर से मुक्तारनामों पर हस्ताक्षर करना, अभिवचन सत्यापित करना, न्यायालय में उपस्थित होना और उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना; और

(ङ) कर्मचारियों के ऐसे वर्गो या प्रवर्गो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जो कुलगुरु द्वारा प्राधिकृत की जाये ।

(5) कुलसचिव का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

(6) कुल-सचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

4. **नियंत्रक.**- (1) विश्वविद्यालय का नियंत्रक, राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलगुरु द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) नियंत्रक कुलगुरु के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(3) नियंत्रक का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

(4) नियंत्रक साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(5) नियंत्रक निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :-

(क) वित्तीय नीति के संबंध में बोर्ड और कुलगुरु को सलाह देना;

(ख) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करने के लिए और बोर्ड को उसके प्रस्तुतिकरण के लिए प्रबन्ध करना;

(ग) विश्वविद्यालय की आस्तियां, विनिधान और सम्पत्तियां धारण करना और उनका प्रबन्ध करना;

(घ) विश्वविद्यालय की निधियों का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ङ) विश्वविद्यालय की समस्त धनराशि को ऐसे बैंक में या ऐसी रीति से रखना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये;

(च) यह सुनिश्चित करना कि सम्पूर्ण व्यय ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत सीमाओं के भीतर और उस प्रयोजन के लिए, जिसके कि लिए धनराशि आवंटित या मंजूर की गयी है, किये जाते हैं;

(छ) विश्वविद्यालय के लेखे ऐसी रीति से तैयार और संधारित करना जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये;

(ज) विश्वविद्यालय के राजस्व संग्रहण का पर्यवेक्षण करना और ऐसे संग्रहण के तरीकों पर सलाह देना;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(झ) विश्वविद्यालय की रोकड़ और बैंक अतिशेषों पर निगरानी रखना;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों के रजिस्टर समुचित रूप से संधारित किये जाते हैं और कार्यालयों, कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं या अन्य परिसरों के समस्त उपस्करों, औजारों और अन्य सामग्रियों के स्टॉक की सम्यक् रूप से जांच की जाती है और उन्हें सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाता है;

(ट) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या केन्द्र या संस्था से सत्यापन के लिए आवश्यक कोई भी सूचना या रिपोर्ट मंगवाना; और

(ठ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो उसे बोर्ड या कुलगुरु द्वारा समनुदेशित किये जायें।

5. **परीक्षा नियंत्रक.** - (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वह बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु पहला परीक्षा नियंत्रक कुलगुरु द्वारा सरकार से परामर्श करने के पश्चात् तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर नियुक्त किया जायेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जाये।

(2) परीक्षा नियंत्रक का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

(3) परीक्षा नियंत्रक कुल-सचिव के सामान्य नियंत्रणाधीन होगा और परीक्षाओं के संचालन का समग्र प्रभारी होगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।

6. **विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष** - (1) कुलगुरु द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन से एक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों, जर्नलों, नियतकालिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों इत्यादि के क्रय, सूचीकरण और संधारण सहित विश्वविद्यालय पुस्तकालय से संबंधित समस्त विषयों में कार्यवाही करेगा।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा और कुलगुरु के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।

7. **प्रबन्ध बोर्ड**. - (1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगें:-

I- कुलगुरु : पदेन अध्यक्ष;

II- नामनिर्देशित और निर्वाचित सदस्य :-

(क) कुलगुरु द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित किया जाने वाला संकायों का एक अध्यक्ष;

(ख) कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के दो आचार्य (दोनो एक ही संकाय से नहीं);

(ग) संबद्ध महाविद्यालयों के, आचार्यो, संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय के विभागो के अध्यक्षो, निदेशकों और प्राचार्यो से भिन्न दो अध्यापक जो उस वर्ष, जिसमें कि निर्वाचन किये जाये, की ठीक पूर्ववर्ती एक जनवरी को स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखतें हों और जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में विहित रीति से निर्वाचित किये जाये;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक विख्यात शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था से संबंधित अध्यापक नहीं हो;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक विख्यात शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी महाविद्यालय या संस्था से संबंधित अध्यापक नहीं हो; और

(च) राज्य विधान-सभा के, उसके अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित दो सदस्य।

III- पदेन सदस्य :-

(क) शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार;

(ख) शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार;

(ग) शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार;

(घ) प्रतिकुलगुरु , यदि कोई हो;

(ङ) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार; और

(च) कुल-सचिव, विश्वविद्यालय : सदस्य सचिव।

(2) बोर्ड का नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद-धारण करेगा और द्वितीय उत्तरवर्ती अवधि के लिए नियुक्ति के लिये पात्र होगा। ऐसे व्यक्ति को पूर्व की दो वर्ष या, यथास्थिति, चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के चार वर्ष पश्चात् ही पुनः नामनिर्देशित किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति छः व्यक्तियों से होगी।

(4) बोर्ड के सदस्य किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगें किन्तु उन्हे ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो बोर्ड द्वारा नियत किये जायें।

(5) बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगा जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायें।

(6) बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किये जायेंगे।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(7) कोई शासन सचिव, जो किसी कारण से बोर्ड के सदस्य के रूप में उसकी किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो ऐसी बैठक में उपस्थिति होने के लिए अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(8) बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :-

(क) विश्वविद्यालय के वित्त, राजस्वों, आस्तियों और सम्पत्ति को प्रबन्धित और प्रशासित करना;

(ख) विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यकलाप को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करना;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को अनुमोदित या मंजूर करना;

(घ) विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों को अर्जित, व्ययित, धारित या नियंत्रित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण को स्वीकार करना;

(च) कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;

(छ) शैक्षणिक या प्रशासनिक अथवा किसी भी अन्य विभाग या कार्यालय में अध्यापकों और कर्मचारियों के किन्ही भी पदों का सृजन करना;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते अवधारित करना;

(झ) अध्यापकों और कर्मचारियों की अर्हताऐं और कृत्य विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) किसी भी प्रयोजन के लिए स्थायी या अस्थायी समितियां नियुक्त करना;

(ट) धन के उधारग्रहण की अनुज्ञा देना या अनुमोदन करना और उसके प्रतिसंदाय की व्यवस्था करना;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(ठ) वित्त समिति के परामर्श से स्टॉकों, निधियों या प्रतिभूतियों में या अनुमोदित बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में या आस्तियों अथवा सम्पत्तियों के क्रयों में धन विनिहित करना;

(ड) अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यो, अध्येताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की नियुक्तियों को विनियमित और अनुमोदित करना तथा ऐसी नियुक्तियों के निबन्धन और शर्ते अवधारित करना;

(ढ) अध्यापकों और कर्मचारियों में अनुशासन प्रवृत्त करना, और

(ण) विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विषयों को अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना।

(9) बोर्ड की बैठक ऐसे अन्तरालो पर होगी जो वह आवश्यक समझे; परन्तु प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बैठक तो की ही जायेगी।

8. **विद्या परिषद्** - (1) विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगें, अर्थात् :-

(क) कुलगुरु : पदेन अध्यक्ष;

(ख) प्रतिकुलगुरु , यदि कोई हो;

(ग) संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन;

(घ) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय;

(ङ) विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अध्यक्ष;

(च) क्षेत्रीय निदेशक, यदि कोई हो;

(छ) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;

(ज) आचार्य की प्रास्थिति के, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष;

(झ) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;

(ञ) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(ट) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, यदि कोई हो;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले पांच प्राचार्य, जिनमें से कम से कम तीन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से होंगें;

(ड) तीनों विश्वविद्यालयों अर्थात् राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि; और

(ढ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव : सदस्य सचिव।

(2) नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि दो वर्ष की होगी। परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

(3) विद्यापरिषद समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के शैक्षणिक क्रियाकलाप और कार्यकलाप की प्रभारी होगी और पाठयक्रमों, अध्यापन, परीक्षाओं पर और उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाण पत्र देने पर नियंत्रण रखेगी।

(4) विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी :-

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति को पर्यवेक्षित, नियंत्रित और विनियमित करना;

(ख) अध्यापन, परीक्षा, मूल्यांकन, अनुसंधान इत्यादि के विषयों में निदेश देना;

(ग) शैक्षणिक स्तरमानों में सुधार करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) शैक्षणिक कृत्यकरण, अनुशासन, प्रवेश, अध्येतावृत्ति, फीस और अन्य अनुषंगिक विषयों के लिए विनियम बनाना; और

(ङ) ऐसी कोई भी अन्य कार्यवाही या कार्य करना जो समय-समय पर विहित किये जायें।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

9. **अध्ययन बोर्ड और संकाय.** - (1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें इतने सदस्य होंगें जो कुलगुरु द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें। संकाय का अध्यक्ष उसके अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) संकाय उतने होंगे जितने कुलगुरु द्वारा विद्यापरिषद की सिफारिश पर अवधारित किये जाये। प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगें और उन्हे ऐसे विषयों का समनुदेशन होगा, जो कुलगुरु द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) उसमें एक स्नातकोत्तर संकाय भी होगा जिसमें स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष होगा।

(4) प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसे कुलगुरु द्वारा उस विभाग के आचार्यो में से या किसी आचार्य की अनुपस्थिति में सहयुक्त आचार्यो में से नियुक्त किया जायेगा।

(5) अध्ययन बोर्ड, संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

10. **चयन समिति** - (1) अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय पदों के प्रत्येक निम्नलिखित प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए एक चयन समिति होगी :-

(क) आचार्य;

(ख) उपाचार्य;

(ग) प्राध्यापक;

(घ) निदेशक, यदि कोई हो;

(ङ) संस्थाओं के अध्यक्ष, यदि कोई हों; और

(च) अन्य शैक्षणिक स्टाफ ।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(2) **चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-**

(क) कुलगुरु: पदेन अध्यक्ष;

(ख) कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के बाहर का एक विशेषज्ञ;

(ग) सम्बन्धित संकाय का अध्यक्ष;

(घ) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती;

(ङ) बोर्ड का एक नामनिर्देशिती;

(च) सरकार का एक नामनिर्देशिती; और

(छ) अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष से भिन्न, कुलगुरु द्वारा प्रतिवर्ष नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आंतरिक सदस्य।

(3) चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति तीन व्यक्तियों से होगी।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसृत की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विश्वविद्यालय अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) चयन बोर्ड को सिफारिशें करेगी जो ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करने पर उन्हे कुलगुरु को नियुक्त करने के लिए भेज देगा या उन्हे अस्वीकार करने पर मामले को अस्वीकार करने के कारणों के साथ कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगा जिनका उन पर विनिश्चय अंतिम होगा और कुलगुरु तदनुसार कार्यवाही करेगा।

11. **संवर्ग-बाह्य पदोन्नति.-** विश्वविद्यालय की संवर्ग-बाह्य पदोन्नतियों के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम 18) के उपबन्ध लागू होंगे।

12. **अन्य समितियां** - (1) कोई प्राधिकरण उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्ति को भी समिति में नियुक्त कर सकेगा जो उक्त प्राधिकरण का सदस्य नहीं हो।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(2) समिति उसे समनुदेशित किये गये किसी विषय पर कार्यवाही कर सकेगी और समिति द्वारा की गई कार्रवाई उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा पुष्ट कर दिये जाने पर अंतिम होगी।

13. **अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें** - समस्त अध्यापक और कर्मचारी किसी लिखित प्रतिकूल संविदा के अभाव में ऐसे निबन्धनों और शर्तों तथा आचरण संहिता से विनियमित होंगें, जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।

14. **अध्यापकों और कर्मचारियों का निलंबन या हटाया जाना.** - (1) जहां किसी, अध्यापक या किसी कर्मचारी के दुराचरण के कारण उसका निलंबन आवश्यक प्रतीत हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह ऐसे अध्यापक या कर्मचारी को निलंबनाधीन रख दे और उसकी रिर्पोट बोर्ड को तुरन्त भेज दे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी अध्यापक या कर्मचारी को सेवा से हटाने का आदेश ऐसी जांच करने के पश्चात् कर सकेगा जिसमें उसे हेतुक दर्शित करने का और सुनवाई का उचित अवसर दिया जा चुका हो।

(3) खण्ड़ (2) में उपबन्धित को छोड़कर, किसी अध्यापक या कर्मचारी को किसी अच्छे हेतुक के बिना और तीन मास का लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन दिये बिना सेवा से हटाया नहीं जायेगा।

15. **पदत्याग.** - (1) कोई अध्यापक या कर्मचारी स्थायी नियोजन की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास का नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन संदत्त करने के पश्चात् सेवा से पदत्याग कर सकेगा। नियोजन स्थायी न होने की स्थिति में एक मास का नोटिस या एक मास का वेतन संदत्त करना ही पर्याप्त होगा।

(2) पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके लिए स्वीकृति दी जाये।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

16. **अनुशासन.** - (1) विश्वविद्यालय में अनुशासन का अनुरक्षण कुलगुरु करेगा और उसे यह शक्ति होगी कि वह किसी छात्र के विरूद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करें जो आवश्यक प्रतीत हो।

(2) किसी छात्र को विश्वविद्यालय से निकाला या किसी भी कालावधि के लिए निष्कासित किया जा सकेगा अथवा जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में बैठने से एक या अधिक वर्षो के लिए, जैसा कि कुलगुरु द्वारा आदिष्ट किया जाये, वर्जित किया जा सकेगा।

(3) किसी भी छात्र के संबंध में परीक्षा के परिणाम को, जैसा कि कुलगुरु द्वारा आदिष्ट किया जाये, रोका या रद्द किया जा सकेगा।

(4) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों को संस्था के किसी भी छात्र के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति होगी।

17. **संबद्ध महाविद्यालयों का प्रबन्ध.** - (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय लोक शैक्षणिक संस्था होगा।

(2) संबद्ध महाविद्यालय की समस्त निधियां उसके स्वयं के शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जायेंगी और जिस महाविद्यालय का संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो वह नियमित रूप से गठित एक ऐसे शासी निकाय द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होगा जिसमें कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, प्राचार्य और अध्यापक वृन्द द्वारा निर्वाचित अध्यापक वृन्द का कम से कम एक अन्य सदस्य होगा। शासी निकाय के गठन से सम्बन्धित नियम ऐसे होंगें जो महाविद्यालय का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करे।

(3) शासी निकाय के गठन में का कोई भी परिवर्तन बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(4) महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक वह महाविद्यालय, जिसका संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो, महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां विज्ञापन के पश्चात् और चयन समिति की सिफारिशों पर करेगा। पदोन्नति - पदों के लिए चयन समिति को पदोन्नति समिति माना जायेगा। चयन समिति इस प्रकार गठित होगी :-

क. प्राचार्य की नियुक्ति की चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;

(ii) प्रबन्ध समिति का एक नामनिर्देशिती;

(iii) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती जो कोई शिक्षाविद् होना चाहिये (केवल उन महाविद्यालयों की दशा में जो सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे है); और

(iv) कुलगुरु द्वारा नियुक्त दो शिक्षाविद् उन महाविद्यालयों की दशा में जो राज्य सरकार से सहायता- अनुदान प्राप्त कर रहें है और तीन उन महाविद्यालयों की दशा में जो राज्य सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त नहीं कर रहें।

स्पष्टीकरण - यदि दो शिक्षाविद् उपस्थिति होतो चार सदस्य गणपूर्ति करेंगें।

ख. अन्य समस्त अध्यापक-पदों की नियुक्ति की चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात् ;-

(i) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;

(ii) प्रबन्ध समिति का एक नामनिर्देशिती;

(iii) महाविद्यालय का प्राचार्य;

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(iv) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती (केवल उन महाविद्यालयों की दशा में जो सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त कर रहे है);

(v) प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त दो विषय-विशेषज्ञ (कुलगुरु द्वारा अनुमोदित पैनल में से);

(vi) कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि; और

(vii) महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष/संबंधित विषय का वरिष्ठतम अध्यापक यदि किसी महाविद्यालय में अध्यापन करने का कम से कम 15 वर्ष का ऐसा अनुभव उसे प्राप्त हो जिसमें से कम से कम पांच वर्ष की सेवा उसने उसी संस्था में की हो।

स्पष्टीकरण. - यदि एक विषय-विशेषज्ञ उपस्थित हो तो पांच सदस्य गणपूर्ति करेंगें।

(6) चयन समिति अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट प्रबन्ध समिति को करेगी। प्रबन्ध समिति सिफारिश के अनुसार नियुक्तियां कर सकती है या मामले को दूसरी सिफारिशें करने के लिए चयन समिति को वापस निर्देशित कर सकती है। प्रबन्ध समिति, मामले में की गयी कार्यवाही के बारे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सूचना देगी।

(7) महाविद्यालय के प्रशासन के संबंध में प्राचार्य को सलाह देने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में समुचित रूप से गठित एक महाविद्यालय परिषद् होगी जो अध्यापकवृन्द का यथोचित प्रतिनिधित्व करेगी।

(8) किसी भी संबद्ध महाविद्यालय को किसी भी विषय/संकाय के अध्ययन को विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना रोकने नहीं दिया जायेगा। ऐसी अनुमति के लिए प्रबन्ध-मण्डल द्वारा समुचित रूप से अग्रेषित आवेदन प्रस्ताव के समर्थन का कारण देते हुए, कम से कम पूरे एक शिक्षा वर्ष पहले, संस्था के अध्यक्ष द्वारा कुलसचिव को किया जायेगा।

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(9) प्रत्येक ऐसा महाविद्यालय, जिनका संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो, बोर्ड को इस बात से आश्वस्त करेगा कि उसके दक्षतापूर्ण संधारण के लिए यथोचित वित्त व्यवस्था है। यदि किसी भी समय किसी महाविद्यालय का शासी निकाय महाविद्यालय को चलाने में असमर्थ हो जाये तो कम से कम पूरे एक शिक्षा वर्ष पहले वह बोर्ड को सूचना देगा और ऐसी ही अवधि, अर्थात् पूरे एक शिक्षा वर्ष का एक नोटिस संस्था के कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की समाप्ति के लिए देगा :

परन्तु किसी संस्था का बन्द होना, उस प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में, जिसके लिए वह संबद्ध है, यथाक्रम चरणों में होगा और उसका प्रारंभ पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष से होगा।

(10) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा जैसे विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें और ऐसी सांख्यिकीय तथा अन्य सूचना देगा जैसी कि समय-समय पर विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट करे।

(11) महाविद्यालय के पिछले वर्ष के कार्यकरण के संबधं में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक महाविद्यालय प्रस्तुत करेगा और उसमें कर्मचारीवृन्द या प्रबन्ध बोर्ड में हुए किसी परिवर्तन की विशिष्टियां और परिस्थितियां, विद्यार्थियों की संख्या और आय तथा व्यय का विवरण और ऐसी अन्य सूचना दी जायेगी जिसकी अपेक्षा की जाये।

(12) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे विषयों में और ऐसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षण की व्यवस्था करेगा जो उस महाविद्यालय के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत की जाये।

(13) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस बात से आश्वस्त करेगा कि वह शैक्षिक दक्षता का एक संतोषप्रद स्तर उन प्रयोजनों के लिए संधारित कर रहा है जिनके लिए उसे मान्यता मिली हुई है या जिनके लिए वह मान्यता प्राप्त करना चाहता है।

(14) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के लिए आश्वस्त करेगा, अर्थात् :-

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

(i) कि प्रत्येक विषय में यथोचित और विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियमों के अनुसार कर्मचारी वृन्द है और कि उसकी परिलब्धियां और सेवा-शर्ते ऐसी है जैसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो;

(ii) कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच ऐसा अनुपात रखा जा रहा है जो अध्यादेशों द्वारा न्यूनतम रूप में विहित से कम नहीं हो और जो पूरे शिक्षकीय पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त हो;

(iii) कि महिला महाविद्यालय का कर्मचारीवृन्द यथासंभव महिलाओं का ही होगा;

(iv) कि ऐसे महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को, जिसका संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो, ऐसी लिखित संविदा के अधीन ही नियोजित किया जायेगा जिसमें उसकी सेवा की शर्तो और उसे संदत्त किये जाने वाले वेतन का कथन हो ;

(v) कि जिस महाविद्यालय का संधारण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा हो वह अपने अध्यापकवृन्द के सदस्यों के फायदे के लिए भविष्य निधि संधारण करेगा; और

(vi) कि किसी संबंद्ध महाविद्यालय द्वारा, अवचार के लिए पदच्युत किसी अध्यापक को, कुलगुरु की लिखित पूर्वानुमति के बिना, किसी अन्य संबद्ध महाविद्यालय द्वारा नियोजित नहीं किया जायेगा।

(15) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस बात से आश्वस्त करेगा कि उस महाविद्यालय और छात्रावासों में समुचित अनुशासन बनाये रखा जा रहा है।

(16) प्रत्येक महाविद्यालय अपने उन विद्यार्थियों के आवास के लिए समुचित व्यवस्था करेगा जो अपने माता-पिता या मान्यता प्राप्त संरक्षकों के साथ निवास नहीं कर रहें हैं और अपने विद्यार्थियों के शारीरिक अभ्यास और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुविधाओं

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER

की व्यवस्था करेगा और चिकित्सीय परीक्षा और देखभाल के लिए एक दक्षतापूर्ण पद्धति को अपनायेगा। किसी महाविद्यालय या उसके छात्रावासों में होने वाले आवास का विनियमन उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों से होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

18. **स्वायत्त महाविद्यालय** - (1) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान किये जाने के लिए विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। 10 से अन्यून वर्षों की अवस्थिति का महाविद्यालय स्वायत्तता का प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह होगा।

(2) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान हो जाने पर, महाविद्यालय में निम्न-लिखित समितियां शैक्षणिक, वित्तीय और सामान्य प्रशासनिक कार्यो के समुचित प्रबन्ध का सुनिश्चयन करने के लिए होंगी, अर्थात् :-

(i) शासी निकाय;

(ii) विद्या परिषद्, और

(iii) अध्ययन बोर्ड।

(3) महाविद्यालय में वित्त समिति, योजना और मूल्यांकन समिति, शिकायत/अपील समिति, परीक्षा समिति, प्रवेश समिति, पुस्तकालय समिति और महाविद्यालय के सुचारू संचालन और विकास को सुखकर बनाने की दृष्टि से सहायता करने और सलाह देने के लिए एक विद्यार्थी कल्याण और पाठ्येत्तर मामलों संबंधी समिति जैसे अकानूनी और सलाहकार निकाय भी होंगे ।

(4) किसी स्वायत्त महाविद्यालय के कानूनी निकायों और किसी भी अन्य निकाय का गठन, अवधि और कृत्य ऐसे होंगें जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।

एस. आर. भंसाली
शासन सचिव

REGISTRAR
Maharshi Dayanand Saraswati University
AJMER